


02/02/21 वकील उभायपक्ष उपस्थित पत्रावली का शेवलेसन
क्रिया/ प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र SDO
के श्री अमित कुमार वर्मा के विरुद्ध पेश किया
है। इसी श्री अमित कुमार वर्मा SDO के का
स्थानान्तरण कम्पत्र हो गया है। ऐसी स्थिति में
प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Ineffective)
होने के कारण इसी stage पर खारिज किया गया
है। पत्रावली फासल शुमा होना बाद तकमील
दा.द. हो।


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

